

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, याहल
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीपेन्द्र कुमार यादव R.A.S.

सुभरराम वल्द सीधाराम उनवान
जाति मील नि. शाकल बनाम मंगलराम दि. पूरा चक
जाति मील नि. शाकल

दावा बाबत 88 RA 114

मुकदमा नम्बर :- 149/18

निर्णय दिनांक :- 18/6/18

वादी की ओर से सुभरराम की व प्रतिवादी की ओर से मंगलराम की
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18-6-18 को याहल (नाम पीठासीन अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी, याहल के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और
डिक्री दी जाती है कि -

वाद का वाद कापसी सहित सलकाट का पंजा शाकल के
ख. न. 23, 24, 28, 27 भूमि में वादी का नाम सुभरराम वल्द सीधाराम
केलखान पर शूह नाम सुभरराम वल्द सीधाराम कुस्त कर्ने की
दोषणा को जारी है निर्णय को जालना हेतु सललीत दाट देइव
को ऊर्दिश दिया जाता है पंजावली कसल सुभरराम
दारिजल इफतर हो।



खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18-6-18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

(सिद्ध)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, याहल